

विशेष विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	----------------------

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी जैज

होल्डर तहसीलदार कोटपुलवाही की ओर से प्रोकार सरकार

(नाथ तहसीलदार कोटपुलवाही) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत

प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय

उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट

पिटीशन नम्बर 3374/2005 व जनवारी छोट्टे एवं अन्य बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित

निर्णय के परिपेक्ष में इस्तमाल प्रकरण में वर्णित आराजी से

सम्बन्धित मू-आवटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण

का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की

छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दस्तावेजात पेश किये।

इसने प्रोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का

अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर

रेस्पॉन्डेंट्स को मू-आवटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि

प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित भूमि का आवंटि

मू-आवटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर

किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रोकार सरकार ने उचित

विवादित भूमि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेंट्स के हक में किया गया

आगतमैन्ट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च

न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं.

3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष

में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन

आवटन की माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही

मन्सूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की

अभिमान कथवादी की जान का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता

है। अतः प्रोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दखलास्त स्वीकार की

जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल शमाज

होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाना दाखिल

दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016

दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया है।

ऑफिसियल मुहर (जयपुर)
ऑफिसियल मुहर (जयपुर)